

प्रेषक,

यतीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

2— सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0 प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग—4

लखनऊ:

दिनांक 09 सितम्बर, 2024

विषय:—डी0एल0एड0(बी0टी0सी0)—2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश/चयन प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या—डी0एल0एड/2879—81/2024—25 दिनांक 23 अगस्त, 2024 एवं पत्र संख्या—गोप0/डी0एल0एड0—24/3085—88/2024—25 दिनांक 06 सितम्बर, 2024 का कृपया संन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डी0एल0एड0(बी0टी0सी0)—2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश/चयन प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने तथा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण—2024 हेतु समय—सारणी जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि डी0एल0एड0(बी0टी0सी0) प्रशिक्षण में चयन हेतु आनलाइन आवेदन/चयन प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 390/अरसठ—4—2023—2067/2013, दिनांक 26.05.2023 को अतिक्रमित करते हुए डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0)—2024 व आगामी सत्रों में चयन/प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन/चयन प्रक्रिया निम्नवत् दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी :—

प्रदेश में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 एवं आगामी सत्रों में ऑनलाइन आवेदन/चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 390/अरसठ—4—2023—2067/2013 दिनांक 26.05.2023 निर्गत किया गया था। डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन/काउसालिंग की कार्यवाही एवं जनपदों में अभिलेखीय जॉच/चयन की कार्यवाही के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों, शत प्रतिशत सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों को अभ्यर्थियों को प्रवेश में समिलित किये जाने एवं नवीनतम प्रणाली से ऑनलाइन शुल्क जमा करने की व्यवस्था में परिवर्तन के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 26.05.2023 के कतिपय बिन्दुओं में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। अतः वर्तमान में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण सत्रों में चयन/प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 26.05.2023 को अतिक्रमित करते हुए डी0एल0एड0 (पूर्व नाम बी0टी0सी0) आगामी सत्रों में चयन/प्रवेश हेतु ऑन—लाईन आवेदन/चयन प्रक्रिया निम्नवत् दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी :—

1. डी०एल०एड० (D.El.Ed.) प्रशिक्षण –

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे पूर्व में प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टीफिकेट (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था, एन०सी०टी०ई० विनियमावली 2014 परिशिष्ट-2 के अनुसार अब इस कोर्स को डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन (D.El.Ed.) कहा जाता है। ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को e-आवेदन पत्र कहा जायेगा।

2. प्रशिक्षण हेतु आवेदन–

डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी होने वाले प्रशिक्षण सत्रों के अन्तर्गत प्रवेश/चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को आवेदन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक एवं आयु सम्बन्धित अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क के भुगतान के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक द्वारा व अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार/मान्य नहीं होंगे।

आवेदकों द्वारा किसी भी एक जनपद अथवा गृह जनपद से एक ही आवेदन किया जायेगा। उसके द्वारा किया गया आवेदन प्रदेश के समस्त जनपदों के राजकीय (डायट) एवं निजी डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु मान्य होगा।

3. सीटों पर चयन –

- i. डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु एन०सी०टी०ई० द्वारा डायट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमन्य सीटों पर कला/विज्ञान, पुरुष/महिला का विभाजन किये बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट द्वारा किया जायेगा।
- ii. एन०सी०टी०ई० से मान्यता तथा प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थायें, जो केवल महिलाओं हेतु हैं, में महिला अभ्यर्थी ही चयनित की जायेंगी।

4. आवेदन के लिए अर्हता, आयु एवं निवास –

- i. शैक्षिक अर्हता – डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज /CBSE (सी.बी.एस.ई.)/ ICSE (आई.सी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वय) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा एवं COBSE (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा यूजी०सी० द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इन्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अहं नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

शासनादेश सं 7 / 2016 / 720 / 15-7-2016 शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 20.05.2016 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद, विनियमों के अध्याय बारह (परीक्षा संबंधी समान्य विनियम) के विनियम-17(7) में संशोधन करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्षता प्रदान की गयी है। अतः प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी इण्टरमीडिएट के समकक्ष माने जायेंगे।

- ii. आयु – आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जायेगा, उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उदाहरण स्वरूप डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2024 हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार “यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।”, देय होगी।
- iii. निवास— उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डी०एल०एड० प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

डी०एल०एड० प्रवेश के अन्तर्गत अभिलेखीय जाँच/चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना –

- (i) अभ्यर्थियों से e-आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रदेश के दो बहुप्रसारित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विज्ञाप्ति प्रकाशित की जायेगी।
- (ii) ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक द्वारा व अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार/मान्य नहीं होंगे।
- (iii) e-आवेदन पत्र का प्रारूप, चयन/प्रवेश की कार्यवाही हेतु निर्गत शासनादेश, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं तकनीकी निर्देश, विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। विज्ञापन में आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने हेतु उपलब्ध लिंक/माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु किये गये पंजीकरण के सापेक्ष निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन शुल्क जमा न किये जाने पर, आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- (iv) e-आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण/विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (vi) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनायें अंकित की जायेंगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्ही का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। ऑन-लाइन आवेदन में प्रविष्टियाँ अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिये, क्योंकि यही चयन का आधार है। ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरे गये विवरण का प्रिन्ट-आउट, ऑन-लाइन पेमेंट का प्रिन्ट-आउट तथा पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
- (vii) यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख

करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड प्लाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्लाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्लाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फॉर्मूला) अभिलेखीय जाँच के समय साथ लाना होगा।

- (viii) ऑन लाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा अपनी देख-रेख में सावधानी पूर्वक भरवाएँ। आवेदन-पत्र किसी अन्य जरिये, जैसे-साइबर कैफे आपरेटर आदि, द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण-पत्रों के अनुसार आवेदन-पत्र में सावधानी पूर्वक जाँचने के पश्चात ही SAVE करें।
- (ix) अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व, ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर ले। अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि— मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गयी प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ फाइनल सेव होने के उपरान्त मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा।
- उक्त घोषणा पत्र के चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गये OTP को Verify करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नं० का अंकन करें।
- (x) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण फाइनल सेव करने के उपरान्त किसी ब्यौरे में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी कारण से पुष्टि करण पृष्ठ में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी त्रुटिपूर्ण ब्यौरे से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरा गया विवरण ही अन्तिम होगा और भविष्य में ऑनलाइन कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। एक बार आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर उसे किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस अथवा भविष्य के प्रशिक्षण हेतु समायोजित नहीं किया जाएगा।
- (xi) अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन न करें। आवेदन पत्र में किसी त्रुटि/विसंगति की स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर नवीन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किये जाने की स्थिति में आवेदन शुल्क जमा किये गये अंतिम आवेदन को मान्य करते हुए अन्य आवेदन अमान्य होंगे, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

(xii) प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह अनुबंध पत्र दिया जायेगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन पत्र प्रेषण की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत कोई भी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, यूआईडी० में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

6. चयन/अभिलेखीय जाँच की प्रक्रिया-

- (i) डी०एल०एड० प्रशिक्षण-2024 एवं आगामी प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायेगी। गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (round off) किया जायेगा। चयन के समय यदि एक ही वर्ग/श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम अनुसार वरीयता दी जायेगी।
- (ii) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों तथा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त निजी डी०एल०एड० संस्थानों के लिए आंवित सीटों के प्रति प्रशिक्षण हेतु संस्थान का ऑन-लाइन आवंटन, अभ्यर्थियों की मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन चयनित किये गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता के अनुसार, एन०आई०सी० लखनऊ द्वारा निर्भित सॉफ्टवेर के माध्यम से किया जायेगा।
- (iii) प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों एवं सम्बद्धता प्राप्त निजी डी०एल०एड० संस्थानों में वर्गवार/श्रेणीवार आवंटित सीटों की संख्या (सीट मैट्रिक्स) निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त सीट मैट्रिक्स के माध्यम से ही प्रशिक्षण हेतु संस्था का ऑन लाइन विकल्प मांगा जायेगा।
- (iv) संस्था आवंटन हेतु अभ्यर्थियों के ऑन-लाइन विकल्प भरने सम्बन्धित सामान्य निर्देश एवं तकनीकी निर्देश निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया

जायेगा। अन्तिम निर्धारित तिथि एवं समय तक ही ऑन-लाइन विकल्प भरा जा सकेगा।

- (v) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से लेकर प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने की निर्धारित तिथि की सूचना एकीकृत रूप से उत्तर प्रदेश के बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित की जायेगी।
- (vi) अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय ही अभिलेखीय जाँच अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था द्वारा सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखों की जाँच का तात्पर्य डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। डी०एल०एड० प्रशिक्षण में प्रवेश मेरिट के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जायेगा।
- (vii) यदि प्रवेश हेतु संस्तुत अभ्यर्थी अपने आवंटित कालेज में निर्धारित अवधि तक उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रवेश के अग्रिम चरण में सम्बन्धित कालेज में प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर अन्य अभ्यर्थी संस्तुत किये जायेंगे। प्रवेश हेतु अभिलेखीय जाँच से सभी सीटे भर जायें, इसके लिए आवश्यक है कि निजी संस्थान अपने वेबसाइट को प्रतिदिन अपडेट (अद्यतन) करते रहें तथा सीटों की संख्या, प्रवेशित छात्रों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या तथा बैंक एकाउन्ट के विवरण अपने वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करते रहें।
- (viii) जिस अभ्यर्थी को अभिलेखीय जाँच से प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर कालेज आवंटित कर दिया जाये वह अपने आवंटित कालेज के बैंक एकाउन्ट में अभिलेखों की जाँच के दिनांक से 03 दिन के अन्दर शुल्क जमा करेंगे तत्पश्चात अभ्यर्थी, अभिलेखीय जाँच अथारिटी / आवंटित सम्बन्धित संस्थान के समक्ष शुल्क जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
- यदि किसी अभ्यर्थी को आवंटित कालेज की प्रवेश प्रक्रिया, अभिलेखीय जाँच, प्रशिक्षण शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई पाता है तो वह शीघ्र अभिलेखीय जाँच अथारिटी / सम्बन्धित कालेज या सम्बन्धित डायट से सम्पर्क करेंगे।
- (ix) प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी –
- a) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र० प्रयागराज द्वारा एन०आई०सी० लखनऊ के सहयोग से तैयार की जायेगी।
- b) मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्धारित की जायेगी एवं अभ्यर्थियों के स्टेट रैंक निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों के स्टेट रैंक ही चयन का आधार होगा।
- c) प्रशिक्षण संस्थानों में शत प्रतिशत सीटों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प लेने एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच एवं प्रवेश/काउंसलिंग की कार्यवाही दो चक्रों/ Phase में सम्पादित करायी जाएगी। काउंसलिंग के प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थियों के स्टेट रैंक के आधार पर

प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। स्टेट रैंक की सीमा में आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। प्रत्येक चक्र / Phase का विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग के पूर्व विज्ञापन कर प्रकाशित किया जाएगा।

- d) स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र / चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में Allotment Fees ₹0 5000/- (₹0 पॉच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किये जाने के उपरान्त ही अभ्यर्थी अपनी पसन्द (Choice) के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे।
- e) अभ्यर्थी स्वयं अपने रत्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प ऑनलाइन चयन (च्वाइस फिलिंग / च्वाइस लॉक) करेंगे। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, वह एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम में चुन सकता है। जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुये विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके।
- f) प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरान्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक की मेरिट / स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये प्रशिक्षण संस्थान की विकल्प के वरीयता क्रम में ₹0 5000/- लखनऊ द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रॉसेसिंग की जायेगी।
- g) अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कालेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किये गये Allotment Fees ₹0 5000/- अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी एवं काउंसलिंग के अग्रिम चक्र / चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किये जाने हेतु पुनः ₹0 5000/- का भुगतान करना होगा।
- h) अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जॉच / प्रवेश की पुष्टि (Confirmation) हेतु आवंटन सह पुष्टि पत्र (Allotment Letter) प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में Confirmation Fees ₹0 5000/- (₹0 पॉच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट कर सकेंगे।
- i) अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किये गये कुल धनराशि ₹0 10000/- (Allotment Fees ₹0 5000/- एवं Confirmation Fees ₹0 5000/-) का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क से संस्था को कर दिया जायेगा।

- j) आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा, निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जॉच/प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिये जाने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाये जाने पर, उनके द्वारा भुगतान किये गये दोनो शुल्क Allotment Fees रु0 5000/- एवं Confirmation Fees रु0 5000/- को किसी भी स्थिति में वापस (Refund) नहीं किया जाएगा।
- k) अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जॉच/प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त मूल अंकपत्र/प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश सम्बन्धित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ही प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया है अतः अभ्यर्थी के स्टेट रैंक (मेरिट) एवं भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता से संस्थान/सीट का आवंटन होने के पश्चात्, अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- l) काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र/चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किये गये Allotment Fees रु0 5000/- के सापेक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश/काउंसलिंग के अग्रिम चक्र/चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किये जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- m) प्रथम चक्र (Phase) की काउंसलिंग/चयन प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय चक्र (Phase) में वर्ग/श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष ही चयन का अवसर दिया जायेगा। यदि प्रथम चक्र/चरण में चयनित/मेरिट का अभ्यर्थी अपनी गलती/शिथिलता के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाया, तो वह भी द्वितीय चक्र में वर्ग/श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन हेतु विचारित होगा।
- n) अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से जो संस्थान/सीट आवंटित होता है, तो उस संस्थान के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थी की फोटो पहचान पत्र, शैक्षिक अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण नियमों की पूर्ति आदि से संतुष्ट हो लें और प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण शुल्क ई-पेमेंट/बैंक ड्राफ्ट से जमा कराते हुए, प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन लॉक करना सुनिश्चित करें।
- o) अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरे जाने एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आवंटित सीटों के प्रति प्रवेश की कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर, प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक लिये गये अभ्यर्थियों के प्रवेश को ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करना अनिवार्य होगा जिससे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक किये गये प्रवेश के आधार पर संस्था

में आवंटित सीटों के सापेक्ष हुए प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों पर, प्रवेश प्रक्रिया के अग्रिम चरण में ऑनलाइन आवंटन किया जा सके।

- p) चयन/प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होने के कारण, संस्थानों द्वारा निर्धारित समय—सारणी के अनुसार लिये गये अभ्यर्थियों के प्रवेश को वेबसाइट पर उपलब्ध कालेज लॉगिन पर रिपोर्ट/लॉक न करने पर, लिया गया प्रवेश किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। संस्था द्वारा लिये गये प्रवेश को ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक न किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे तथा उक्त प्रवेश अमान्य माना जाएगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।
- q) डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र में चयन/काउंसलिंग की कार्यवाही दो चक्रों में सम्पादित कराये जाने के उपरान्त सीटें रिक्त रहने पर शत प्रतिशत प्रवेश के उद्देश्य से तृतीय चक्र में कालेज स्तर से सीधे प्रवेश (Direct Admission) की कार्यवाही हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पृथक से दिशानिर्देश निर्गत किये जाएंगे। इस प्रक्रिया हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कालेज में रिक्त सीटों/प्रवेश की स्थिति के आवश्यकतानुसार सुविचारित प्रस्ताव सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- r) चूंकि अभ्यर्थी द्वारा ही अपनी स्वेच्छा से प्रशिक्षण हेतु संस्थान/सीट का विकल्प दिया जाता है, अतः प्रवेश/चयन की कार्यवाही के अन्तर्गत, अंतिम चरण की काउंसलिंग हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त किसी डायट/निजी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थान की सीट खाली रह जाने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
- s) प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक किये गये अभ्यर्थी ही प्रवेशित अभ्यर्थी माने जाएंगे। प्रवेश की चरणवार कार्यवाही सम्पादित होने के उपरान्त निजी संस्थानों द्वारा अपने कॉलेज लॉगिन के माध्यम से रिपोर्ट/लॉक किये गये प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची, उनके समस्त विवरण एवं अभिलेख अपने जनपद के प्राचार्य डायट प्रवेश समाप्ति की अगली तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य डायट द्वारा तिथि का निर्धारण करते हुए अपने जनपद के समस्त निजी संस्थानों को सूचित किया जाएगा। प्राचार्य डायट का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे निजी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रवेशित अभ्यर्थियों के मेरिट, वर्ग/श्रेणी व आवेदन इत्यादि की जाँच भली-भाँति कर लें एवं जनपद में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज को निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध करायें।

7. निर्धारित शुल्क-

- i. ऑन—लाइन आवेदन पंजीकरण करने के बाद आवेदक ऑन—लाइन पंजीकरण संख्या के सापेक्ष, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे।
- ii. पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/UPI व अन्य प्रचलित पेमेंट के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध Link के द्वारा तुरन्त किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
- iii. आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी का डीएलएडो प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन पूर्ण माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किये गये ऑनलाइन पेमेंट के सापेक्ष बैंक द्वारा Payment Confirm होने की स्थिति में ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के अग्रिम चरण को पूर्ण कर आवेदन का प्रिंट ले पाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क, आवेदन हेतु निर्धारित वेबसाइट पर दिये गये Payment Link के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक/माध्यम से भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- iv. ऑन—लाइन आवेदन केन्द्रीयकृत पैटर्न पर प्राप्त किये जायेंगे।
- v. डीएलएडो प्रशिक्षण में e—आवेदन हेतु आवेदन शुल्क निम्नवत् होगा –

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	रु0 700
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु0 500
विकलांग श्रेणी	रु0 200

- vi. शासनादेश सं0 658/अरसठ-4-2024 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, दिनांक 27.06.2024 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डीएलएडो प्रशिक्षण से सम्बन्धित खातों का संचालन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है अतः डीएलएडो प्रशिक्षण 2024 तथा आगामी प्रशिक्षण में ऑनलाइन आवेदन/काउंसलिंग/प्रवेश सम्बन्धित समस्त शुल्क आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज के पद नाम से खोले गये करेन्ट एकाउन्ट में प्राप्त किया जाएगा। ऑन लाइन/चयन प्रक्रिया हेतु प्राप्त समस्त शुल्क (आवेदन शुल्क तथा काउंसलिंग शुल्क आदि) की धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा तथा मदवार आय-व्यय विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- vii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किये जाने एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त किसी भी स्थिति में जमा किया गया, आवेदन शुल्क वापस (Refund) नहीं किया जाएगा।

8. आरक्षण—

- i. उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।
- ii. उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शासनादेश सं0 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-2 दिनांक 18.02.2019 एवं शासनादेश सं0 5/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-1 दिनांक 13. 08.2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा।
- iii. आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (3) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त सीट को आपस में क्रमशः अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से भरा जा सकता है।
- iv. उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वय) का कोटा चयन की तिथि को उपलब्ध अद्यतन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, 1997 तथा 1999 (यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
- v. उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत अर्ह आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त सीटों को श्रेणीवार अर्ह अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- vi. ३०एल०एड० प्रशिक्षण के अन्तर्गत वर्गवार/श्रेणीवार अनुमन्य सीटों को शत-प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से, आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त, आरक्षित श्रेणी (पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष आरक्षित श्रेणी) के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित/सामान्य वर्ग की सीटों पर परिवर्तित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।
- vii. उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित (Unreserved) श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा।

9. प्रवेश प्रक्रिया —

- (i) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु संस्थान आवंटित किये जाने के पश्चात् प्रवेश/ चयन का समस्त कार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/निजी संस्थान के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा शासनादेश एवं आरक्षण नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
- (ii) उत्तर प्रदेश के निम्नवत् जनपदों, जहां स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को ३०सी०टी०ई० द्वारा ३०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु सीटों

की मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा नवसृजित जनपदों, जहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की स्थापना नहीं हो सकी है (कॉलम-1), उक्त जनपद जिस अविभाजित पूर्व/मूल जनपद का हिस्सा है (कॉलम-2)।

कॉलम-1	कॉलम-2
कासगंज	डायट, हरचन्दपुरकला—एटा
संतकबीरनगर	डायट, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स—बस्ती
अम्बेडकरनगर	डायट, अयोध्या
बलरामपुर	डायट, दर्जीकूआँ—गोण्डा
हमीरपुर	डायट, चरखारी—महोबा
अमेर्ठी	डायट—सुल्तानपुर
गाजियाबाद	डायट—हापुड़
शामली	डायट—मुजफ्फरनगर
सम्बल	डायट, काठ—मुरादाबाद

उपरोक्त कॉलम-1 के जनपदों के अभ्यर्थियों की डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2024 एवं अग्रिम प्रशिक्षण वर्ष की अभिलेखीय जाँच/चयन प्रक्रिया कॉलम-2 के जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संपादित की जाएगी।

(iii) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर लिया जाय तथा उसकी पुष्टि फोटो आई0डी0 से भी की जाय। बाद में उनके मूल अभिलेखों की जाँच/सत्यापन भी सम्बन्धित निर्गमन संस्थाओं से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक स्थिति में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के पहले कराया जायेगा। चयन/जाँच/प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर चयनित/छद्म तरीके से चयन प्रक्रिया में आने की पुष्टि होने पर प्रशिक्षित/प्रशिक्षणोपरान्त नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

10. प्रशिक्षण शुल्क—

- डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण दो वर्षीय नियमित अनावासीय (Regular) प्रशिक्षण है, जिसमें चार सेमेस्टर हैं। डायट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष रु0 10,200/- होगा। उक्त शुल्क का मदवार विवरण निम्नवत् है –

क्र0सं0	मद	प्रथम वर्ष का शुल्क	द्वितीय वर्ष का शुल्क
1.	शिक्षण शुल्क (राजकोष में जमा किया जायेगा)	2400	2400
2.	कॉशन मनी (रिफण्डेबल)	2500	—
3.	परिचय पत्र शुल्क	100	100
4.	पत्रिका शुल्क	300	300

5.	क्रीड़ा शुल्क	400	400
6.	क्राफ्ट शुल्क	400	400
7.	विद्युत शुल्क	1200	1200
8.	अनुरक्षण / विकास शुल्क	1400	1400
9.	एक्सपोज़र विज़िट	—	2500
10.	वाचनालय	300	300
11.	विज्ञान एवं कम्प्यूटर शुल्क	1000	1000
12.	आन्तरिक मूल्यांकन / प्रायोगिक परीक्षा	200	200
	योग	10,200	10,200
	छात्रावास शुल्क (छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्रों हेतु इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं)	2400	2400

नोट-उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंकपत्र शुल्क सम्मिलित नहीं हैं।

- ii. निजी संस्थानों हेतु शासनादेश संख्या-1441 / 15-11-2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 41,000/- होगा।
- iii. निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उनकी सम्बद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए निजी संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- iv. प्रशिक्षण अनावासीय होगा। अतः आवास / छात्रावास हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- v. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेण्ड) देय नहीं होगा।

11. अल्पसंख्यक संस्थान-

एन०सी०टी०ई० से डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, उन अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा आवंटित सीटों (एन०सी०टी०ई० द्वारा आवंटित सीट संख्या) के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीटों पर शासनादेश सं० 653 / 15-11-2015 दिनांक 10.06.2015 तथा यथासंशोधित शासनादेश सं० 612 / 15-11-2017 दिनांक 25.05.2017 एवं समय समय पर निर्गत भासनादेशों तथा निर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। प्रवेश की कार्यवाही किये जाने हेतु दिशानिर्देश निम्नवत् हैं -

- (i) अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा 50 प्रतिशत सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएंगे, जिसके सम्बन्ध में तीन प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन भी अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं किया जाएगा।
- (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश की कार्यवाही, प्रदेश में डी०एल०एड० प्रशिक्षण सत्र हेतु उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही सम्पादित करायी जाएगी तथा अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी प्रदेश के डायट / निजी डी०एल०एड० संस्थानों में प्रवेशित समस्त

अभ्यर्थियों के साथ ही प्रारम्भ होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रवेश हेतु कोई भी अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।

- (iii) अल्पसंख्यक संस्थाओं में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश / चयन, एन0सी0टी0ई0 द्वारा सम्बन्धित संस्था को आवंटित सीटों के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीटों पर मेरिट के अनुसार किया जायेगा तथा प्रवेश में मेरिट को इन्होर नहीं किया जायेगा।

(iv) अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा मेरिट के वरीयताक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के अर्ह अभ्यर्थियों की अधिमानता (Preference) को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(v) चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो इस हेतु पारदर्शी प्रक्रिया तथा प्रचिलित नियमों का पालन किया जायेगा। इस हेतु अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक प्रवेश समिति बनाई जायेगी जिसमें प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद द्वारा निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जायेगा।

(vi) अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त, अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का विवरण, निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये लॉगिन/पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन फीड किया जायेगा। कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज द्वारा विज्ञप्ति/पत्राचार के माध्यम से अल्पसंख्यक कालेजों द्वारा अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों का विवरण ऑनलाइन फीड किये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिये जायेंगे।

(vii) कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों की सूचना निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर फीड किये जाने के उपरान्त, प्रवेश की सूची एवं संगत अभिलेख जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समक्ष मिलान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। डायट द्वारा प्रवेश के विवरण एवं संगत अभिलेखों के मिलान के उपरान्त डायट लॉगिन के माध्यम से, अल्पसंख्यक संस्था के प्रवेश को Approve कर मान्य किया जाएगा।

(viii) निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत लिये गये प्रवेश को संस्थान द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन फीड न किये जाने एवं लिये गये प्रवेश को सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा Approve न किये जाने पर, लिया गया प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।

- (ix) अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक लिये गये प्रवेश की सूचना वेबसाइट पर फीड/अपलोड किये बिना यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तदसम्बन्धित शिकायत/सूचना प्राप्त होने अथवा लिये गये प्रवेश के सम्बन्ध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर, अल्पसंख्यक संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (x) उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम अवधि, परीक्षा पद्धति को स्वीकार करते हुए तदनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था द्वारा की जायेगी।
- (xi) सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही प्रशिक्षुओं की परीक्षा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सम्पादित करायी जायेगी।
- (xii) अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अन्य मानक, उ0प्र0 शासन द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश के निर्धारित मानक के अनुसार ही मान्य होंगे साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा प्रवेश/चयन एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. ऑन—लाइन आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व –

- (i) ऑन लाइन आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
- (ii) आवेदन की प्रक्रिया की विशिष्टताओं आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचनाओं की सुलभता सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा एन0आई0सी0, लखनऊ को करायी जायेगी, जिससे ऑन—लाइन आवेदन हेतु उत्तम एवं प्रभावी सॉफ्टवेयर को विकसित कराया जा सके।
- (iii) ऑन—लाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के नवीनतम तकनीक द्वारा जमा किया जायेगा। आवेदन शुल्क व प्रवेश हेतु काउंसलिंग शुल्क (धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैंकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/UPI के माध्यम से) जमा किये जाने हेतु आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक का पेमेंट लिंक, एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर/विभाग द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- (iv) एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण के लिए आवेदन हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के क्रम में आवश्यक कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को लॉग—इन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

13. चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारिणी –

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्रो हेतु चयन/प्रवेश की समय—सारिणी उ0प्र0 शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत की जाएगी।